इस बिल के द्वारा सरकार यह तय करने जा रही है कि सीधा रेक्रूटमेंट 25 परसेंट या अधिक हो । कई बैंकों में यूनियनों और बैंक मैनेजमेंटस के बीच में इस बारे में एग्रीमेंट्स है । बैंक आफ इंडिया में 20 परसेंट का एग्रीमेंट है । इसी तरह बैंक आफ बड़ौदा में एग्रीमेंट हो चुका है । इस बीच में यह विधेयक आ रहा है । इस स्थिति में इन सारे एग्रीमेंटस का क्या होगा ।

मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह बैंकों की गतिविधियों के बारे में भी सोचें । दो हजार रुपये का ड्राफ्ट मिस-प्लेस हुआ, इस लिए अस्सी हजार रुपये की सिक्युरिटीज मांगी गई । यह इस से रेविलेंट नहीं है, लेकिन चूंकि यह सवाल आया है, इस लिए मैं इस को उन के पास भेज रहा हूं ।

SHRI C. SUBRAMANIAM: As far as selection of Chairmen for the various Banks is concerned, the appointment is made by the Government on the recommendation of the Reserve Bank. The Reserve Bank takes into consideration the various qualifications required to man this post and on that basis they make their recommendations and the Government makes the appointments. Therefore, there is no necessity for having a Service Commission for that purpose. This is a special post and, therefore, a special procedure will apply to that.

As far as the Bank of Baroda is concerned, I have also received many representations. I am looking into them. Immediately I may not be able to give the answers. But I have received those representations and I am looking into them.

श्री मधु लिमये : सीधे रेक्रूटमेंट के बारे में एग्रीमेंटस का क्या होगा ?

SHRI C. SUBRAMANIAM: All that I shall look into.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the establishment of a Commission for the selection of personnel for appointment to services and posts in certain banking institutions and for matters connected there with or incidental thereto."

The motion was adopted

*SHRI C. SUBRAMANIAM: I introduce the Bill.

15 32 hrs.

CONSERVATION OF FOREIGN EXCHANGE AND PREVENTION OF SMUGGLING ACTIVITIES BILL

MR. DEPUTY-SPEAKER: The next item is Item 12A, which promises to be a hot potato. But before I call the Minister to beg for leave to introduce the Bill I would like to mention that Shri Madhu Limaye has given notice that he would oppose this Bill and Mr. Janeshwar Mishra also. But Mr. Madhu Limaye has done something which to me appears to be, not out of order, but rather not so appropriate at this stage because he has given certain names and he wants to make certain allegations against them which is under the rules but not at the stage of introduction.

SHRI JYOTIRMOY BASU : (Demand Harbur) He may do on any occasion ...

MR. DEPUTY-SPEAKER: This is introduction stage. However, he has sent notices of this to the Minister for Parliamentary Affairs and I am told, copy of his letter is sent also to the Minister concerned. Perhaps it is difficult to be too strict with Members, you know, that is the best way how to ask for trouble ! Well, you can ask for leave now.

*Introduced with the recommendation of the President.

THE MINISTER OF FINANCE SHRI C. SUBRAMANIAM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for preventive detention in certain cases for the purposes of conservation and augmentation of foreign exchange and provention of smuggling activities and for matters connected therewith.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion is moved:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for preventive detention in certain cases for the purposes of conservation and augumentation of foreign exchange and prevention of smuggling activities and for matters connected therewith."

Now, Mr. Madhu Limaye.

श्री मधु लिमये (बांका) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इस के बारे में कई आक्षेप है। उस में से बुनियादी आक्षेपों को मैं आप के सामने रखूंगा। पहला मेरा आक्षेप यह है कि यह विधेयक अधूरा है। इतना ही नहीं, असद्भाव, मैलाफाइडीज से भरा हुआ है। मैलाफाइडी के मेरे दो ग्राउन्ड्स है कि यह विधेयक आपातकालीन स्थिति, एमर्जेंसी को मैलाफाइडी ढंग से विदेशी आक्रमण का संकट समाप्त होने के बाद भी चला रही है। उस को चलाए रखना और फिर उस के तहत आर्डिनेंस और विधेयक बनाना यह मैलाफाइडी का एक ग्राउन्ड है। दूसरा मैलाफाइडी इस में यह दिखाई देता है कि इस बिल के तहत जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आर्टिकिल 19(ए), (बी), (सी) है जिस को मैं बहुत ज्यादा महत्व देता हूं उस को खत्म किया गया है लेकिन मेरी राय में जो बुनियादी अधिकार होना ही नहीं चाहिए, सम्पत्ति का अधिकार, इन लोगों की सम्पत्ति छीनने के बारे में चाहे वह बेनामी हो या उन के नाम से हो, उन के दोस्तों के नाम से हो, उन की बीवियों के नाम से हो, उस को छीनने के वास्ते इस में प्रावधान नहीं है। उस के लिए प्रावधान आप को करना चाहिए था। उस के लिए आप संवैधानिक संशोधन भी पेश करते तो मैं उस में आप का साथ देता। क्यों कि आखिरकार इन की शक्ति मनी पावर, एकोनामिक पावर है। उस को आप तोड़ते नहीं और उन को जेलों में बन्द करते है। लेकिन अगर आप उन की मनीपावर तोड़ेंगे और उन को बाहर भी रखेंगे तो वे कर क्या सकते है ? इसलिए असद्भावपूर्ण यह इसलिए लगता है कि इस के अन्दर आर्टिकल 19(ए), (बी), (सी) जिस में भाषण, आदि की स्वतंत्रता है उस के ऊपर आक्रमण किया जा रहा है और उन की सम्पत्ति छीनने का काम उस के द्वारा नहीं हो रहा है। आप इन की सम्पत्ति छीन लीजिए, मैं आप का साथ दूंगा।

दूसरी बात यह है कि इस में मुझे विषय व्यवहार लगता है। कैसे? अब मैं नामों पर आऊंगा। मेरा डिस्क्रीशन का प्वाइन्ट है। यह जब सरकार को आप पूरा अधिकार देते है, विवेकपूर्ण अधिकार, डिस्क्रीशनरी पावर कि जिस को चाहे पकड़ें उसमें यह भी अधिकार है कि जिस को न चाहे न पकड़े। मेरा कहना यह है कि आप पकड़ते है लेकिन आप जिस को चाहेंगे उसी को पकड़ेंगे और आप जो मैं लगातार जानकारी दे रहा हूं, आप ने मुझे

आश्वासन भी दिया है कि मैं सख्त कार्यवाही करूंगा, लेकिन मैदान में आप के आने से पहले कई काम ऐसे हुए हैं कि जिन के बारे में मुझे एतराज है, इसलिए मैंने आज नोटिस दिया है। जिस की कापी मंत्री जी को भी दी है वही चार मुद्दे में आज उठाऊंगा क्योंकि मुझे बार-बार कहा गया कि आप नोटिस नहीं देते हैं जब कि जिस के बारे में नोटिस मैंने 17 मार्च 1970 को दिया, उस के बाद एप्रोप्रिएशन बिल वगैरह के ऊपर कई नोटिस दिया, फिर भी संतोष इन लोगों को नहीं होना, स्पीकर साहब को नही होता, इसलिए मैंने आज जानबूझ कर यह प्रापर नोटिस दिया और नोटिस दे कर चार लोगों के बारे में कह रहा हूं। एक हैं श्री नित्यानन्द कानूनगो — This gentleman is guilty of perjury. ये गवर्नर थे और इंदिरा गांधी इन के ऊपर इतनी मेहरबान थीं कि इन का टर्म खत्म होने के बाद भी इन को गवर्नर बनाए रखा था। यहां हल्ला होने के बाद इन को टर्मिनेट किया गया।

दूसरे हैं श्री रामलाल नारंग— This gentleman was a notorious smuggler But several Ministers of the Central Government and State Governments as also Chief Ministers of States hobnobbed with him. Because of his influeence he got himself nominated on the Telephone Advisory Committee, Bombay under the Ministry of Communications and the Board of Film Censors under the Ministry of Information and Broadcasting.

तीसरे हैं श्री हरिभाई ताडेल — brother-in-law of notorious smuggler Bankhia was given a Congress ticket of the Goa Assembly and the Prime Minister herself campaigned for him. He has not yet been arrested.

चौथे हैं श्री प्रेमा भाई ताडेल इन को भी नहीं पकड़ा गया। He is a relative of Bankhia and purchaser of 15,000 shares in the Maruti Ltd., enjoys special protection from Sanjay Gandhi and the Prime Minister.

तो डिस्क्रीमिनेशन यह है। यह जिस कागज से इन्फार्मेशन इन को दी गई है उन में कुछ लोगों को तो गिरफ्तार किया जैसे योगी ताडेल को किया और दूसरों को नहीं किया। हरि भाई और उन के भाई को नही किया। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि सरकार को डिस्क्रीशनरी पावर देने में एक खतरा यह आता है कि आप जिन को पकड़ना चाहेंगे उन्ही को पकड़ेंगे और जिन को नही चाहेंगे नहीं पकड़ेंगे, वे छूट जायेंगे।

तो ये मेरे मुख्य आक्षेप हैं। वरना स्मलिंग का जितना विरोध मैं 1966 से इस सदन में करता आया, क्यों कि मेरे मित्र बकवास करते है, प्रलाप में उस को कह कर छोड़ देता हूं..... (व्यवधान)

SHRI H.K.L. BHAGAT (East Delhi) : "Backwas" is not a parliamentary word to be used.

श्री मधु लिमये : अच्छा उस को वापस ले कर मैं प्रलाप कहता हूं।

तो डिस्क्रीमिनेशन के बारे में मुझ बड़ी-भारी चिन्ता है और आज मैं बड़ी उम्मीद से आया हूं कि मंत्री महोदय इस के बारे में गहराई से सोचेंगे क्यों कि उन के पत्रों के टोन से मुझे ऐसा लगा कि वह भी इस के पीछे पड़े हुए हैं।

श्री जनेश्वर मिश्र (इलाहाबाद) : यह जो मेंटिनेंस आफ इन्टर्नल सेक्योरिटी ऐक्ट के नाम पर स्मगलर्स को हर तरफ से रोकने की कोशिश की जा रही है, देश भर में एक चर्चा है कि यह इंटर्नल सेक्योरिटी ऐक्ट न हो कर के इंदिरा सेक्योरिटी ऐक्ट होने जा रहा है । इन्होंने इस बिल में स्मलिंग पर रोक लगाने की बात भी की है लेकिन जिस स्मग्लर की सब से ज्यादा चर्चा थी, वित्त मंत्रालय के जिन राज्य मंत्री ने कहा था कि मैं सत्याग्रह भी करूंगा, दो तीन स्मग्लर्स के नाम भी उन्होंने लिए थे, सरकार की खूबी तो यह है कि एक तरफ तो स्मग्लरों को जेल में रखा दूसरी तरफ उन राज्य मंत्री को भी वहां से खिसका दिया यानी कभी कभी दारोगा भी सजा पा जाता है को चोर को पकडता है और चोर भी सजा पाता है । लेकिन आज कुली हाजी मस्तान को मेरठ जेल में किस शान शौकत के साथ रखा जा रहा है, बाकी कैदी तो सड रहे है और पूरी बरक उस को रखने के लिए दे दिया है । बडी शान के साथ उस को रख रहे हैं । जैसे पहले महात्मा गांधी के लिये आगा खां पैलेस दिया जाता था, उसी तरह से कांग्रेस पार्टी की सरकार पूरा बैरेक स्मगलर्स को दे देती है । उस के बाद कांग्रेस पार्टी के बहुत से बड़े नेता—इस में मदद करते हैं—जैसे हमारे बनर्जी साहब ने कहा था—के० के० शाह का नाम ले लेना—बाद में शाह साहब ने मद्रास में चुनौती दी कि सदन के बाहर यह बात कही होती, तो मै देख लेता । तो सदन के बाहर भी वह चलेगी—इस में कोई सन्देह नहीं है ।

इन सब बातों के बारे में मंत्री जी ईमानदारी से सफाई दें और जैसा माननीय मधु लिमये जी ने आरोप लगाये हैं—ये आरोप कई दिन से लग रहे हैं—प्रधान मंत्री के बेटे का जो कारखाना है—मारुति—उस में सुदर्शन ट्रेडिंग कम्पनी और दूसरी कम्पनियां शामिल हैं जिन के स्मगलर्स से रिश्ते है । यह सरकार अपनी मर्जी से कुछ स्मगलर्स को प्रोटेक्शन देती है और कुछ के खिलाफ कार्यवाही करती रहती है—वाहवाही लूटने के लिये—यह खतरनाक बात है । मंत्री जी जब इस बिल को मूव कर रहे हैं तो हम उम्मीद करते है कि वे इन बातों के बारे मे भी जरूर बोलेंगे ।

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): Sir, we have made certain statements with regard to th Presidential Order.

Now, you will realise, Sir, that on Friday at eight 'O' clock, we got a telephone call from the Minister of Parliamentary Affair that we should have a meeting in the Cabinet Room in the Parliament House to discuss things related to smuggling and MISA.

Now, Sir, just imagine that we sat till about 6 'O' clock and they did not have the time. What happened immediately afterwards that necessitated a meeting at 9 P.M. in the evening on Friday—the week end? I would like to be corrected if I am wrong—I am told—Mr. Vayala Ravi should not get agitated—in Kerala House where the Home Minister of Kerala—of course has got every right to come to Delhi and confer—I am sorry, the top leadership of the Government of Kerala and a Cabinet Minister from this side, had sat and discussed things for hours. Naturally, the subject-matter to

discussion is as to how to make secure the present Government in Kerala and to ensure that till the next election. They could do that in half an hour's time. This was discussed and I do not want to say anything more on it but I shall do that again when the time comes.

Now, by putting Article 14 in cold-storage—if I am not right, let them correct me—they have created an inequality....

MR. DEPUTY-SPEAKER: That is about the Presidential Order and not about this Bill.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: The two can go together. What is it that is depriving the democratic people of their rights to agitate and to oppose the ruling party? This is what I am saying.

Now, Art. 21 makes a man liable to be shot....

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Bosu, are you talking about the Bill?

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I am telling you that this is pinching us since 1971 till the time when MISA came. I am sorry you would not really appreciate as to how much we have been penalised by the MISA. Every occasion that come before us we shall make use of it.

Sir, my question is this. What has the Government done from 1971 till June 1974—my question is to Shri Subramaniam. 16,825 persons were detained without trial.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Bosu come to this particular Bill.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I oppose this.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Then let him answer that.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Out of this number 72% came from West Bengal who are politically opposed to it.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You are discussing the entire subject relating to this. That is not at this stage. This is only introduction.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: I am saying I oppose it....

MR. DEPUTY-SPEAKER: That is enough.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Because it hits at the very root of fundamental rights. You know cases have come before the High Courts and, if I am right, it has already been struck down.

SHRI C. SUBRAMANIAM: I would seek your guidance. In my view, subject to your ruling, these are all matters which do not arise at this stage of introduction of the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I had said as much.

SHRI C. SUBRAMANIAM: Therefore, with your permission, I would deal with these things when the Bill comes up for consideration.

MR. DEPUTY-SPEAKER: It is up to you.

SHRI C. SUBRAMANIAM: I would deal with these at that stage.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to provide for preventive detention in certain cases for the purposes of conservation and augmentation of foreign exchange and prevention of smuggling activities and for matters connected therewith."

The motion was adopted

SHRI C. SUBRAMANIAM: I introduce the Bill.